

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर
(जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :- श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 590/2025

आरआरसीएमएस नं. :- 20260212560008

प्रार्थीगण :-

1. जगदीश पुत्र मोहनलाल
2. महेन्द्र पुत्र मोहनलाल
जाति माली निवासी अब्काई
ढाणी नानण रोड पीपाड़शहर
तहसील पीपाड़शहर जिला
जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. भूमिधारी तहसीलदार
पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर
राज.।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

दर्ज दिनांक :- 18.11.2025

निर्णय

दिनांक :- 17/04/2026


प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण उपरोक्त पत्ते के निवासी है तथा ग्राम पीपाड़ शहर पटवार क्षेत्र पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा संख्या 3292/3158 आई हुई है जो राजस्व रेकॉर्ड के खाता संख्या नया 746 पर दर्ज है। यह है की ग्राम पीपाड़ शहर पटवार क्षेत्र पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा संख्या 3293/3158 आई हुई है जो राजस्व रेकॉर्ड के खाता संख्या नया 1526 पर दर्ज है। यह है की उक्त खसरो में प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहनराम त्रुटिपूर्ण दर्ज है प्रार्थीगण के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड व अन्य खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहनलाल इन्द्राज है प्रार्थीगण के पिता का नाम उक्त खसरो में मोहनराम त्रुटिपूर्ण दर्ज होने से फसल बीमा लाभ व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे है इसलिए प्रार्थीगण को राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरुस्त करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के समक्ष नाम शुद्ध करने हेतु निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को सुझाव देते हुए बताया की श्रीमान न्यायालय से आदेश होने के पश्चात ही राजस्व रेकॉर्ड में शुद्धि की जा सकती है इसलिए श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण के पास उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम पीपाड़ शहर पटवार क्षेत्र पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 3292/3158 व खसरा संख्या 3293/3158 में प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहनराम के स्थान पर मोहनलाल किये जाने के आदेश फरमाए व राजस्व रेकॉर्ड में नाम शुद्धि करवाने की कृपा करावे।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को समन जारी किये गये। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा न्यायालय में पेश रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर के खंसरा नम्बर 3292/3158 व 3293/3158 में प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहनराम के स्थान पर मोहनलाल किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पक्षकारान् की बहस सुनी, वकील प्रार्थीगण ने बहस करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर के खंसरा नम्बर 3292/3158 व 3293/3158 में प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहनराम के स्थान पर मोहनलाल दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

हमने पत्रावली, पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज का अवलोकन एवं बहस पक्षकारान् पर मनन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर के खंसरा नम्बर 3292/3158 व 3293/3158 में प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहनराम के स्थान पर मोहनलाल राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कर अमलदरामद की कार्यवाही करें।


(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 17/04/2026 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर
पीपाड़ शहर